

महिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्यु जज
बनाम बनाम मनोहरा वगैरा

मु. सं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दिनांक 19-08-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थियागण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थियागण को बार बार निर्देशित करने के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 3 की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम जारी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थियागण के सम्बन्ध में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19-05-20176 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर शामिल मूल बन्द रहे।

आदेश सुनाया गया।

2/P
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौला)